फर्द अहकाम

लाल बहादुर बनाम देवेन्द्र वगै0
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़
केस संख्या .....07...../2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/01/24	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली दिनांक 13/2/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	13/2/24	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान की ओर से उपस्थित अदालती नोटिस जारी होना। पत्रावली दिनांक 13/5/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	13/5/24	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान में से कोई उपस्थित नहीं है। वकील की तबीयत पर पत्रावली दिनांक 29/5/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	29/5/24	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार में से माननीय लगाई गई। कार-2 मुताबिक लगाये गए। वकील स्वयं व उनके साक्षिकर्ता कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण मद्देनजर तारीख पेशी के खारिज किया जाता है। कार्यालय न्यायालय को निर्णय की प्रति रवाना की जाए। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	